न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः– जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः– 93/2018/अपील

रामेश्वरलाल पुत्र सुरजाराम जाति गुर्जर निवासी बागड़वा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर, राज0

अपीलान्ट

बनाम

सहायक वन सरंक्षक, कार्यालय सहायक वन सरंक्षक, सांवली रोड़, सीकर

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 11.07.2018 मु.न. 01/2018 अनुवानी सरकार बनाम रामेश्वरलाल द्वारा न्यायालय सहायक वन सरंक्षक सीकर

वकील अपीलांट श्री महेन्द्र सिंह नेहरा
वकील रेस्पोडेंट श्री रामावतार महरिया

निर्णय   **दिनांकः–19.07.2019**

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि अपीलार्थी गॉव बगड़ावा में वर्षो से पक्के मकानो का निर्माण कर परिवार सहित आवास–निवास कर रहा है, जिसमें प्रार्थी ने बिजली का कनेक्शन भी ले रखा है। दिनांक 10.06.2018 को प्रार्थी को सहायक वन संरक्षक से सम्मन मिला कि वन विभाग की भूमि खसरा नम्बर 1164 रकबा 0.1509 हैक्टयर में पक्का निर्माण कर आप द्वारा अतिक्रमण कर रखा है। प्रार्थी जरिये अधिवक्ता अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर आपत्ति नोटिस एवं दस्तावेजात पेश किये। अधिनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक ने प्रार्थी की आपत्ति पर बिना गौर किये ही प्रार्थी के पक्के मकान को तौड़ने के सम्बंध में आदेश दिनांक 11.07.2018 पारित कर दिया। ग्राम बिहार हाल खसरा नम्बर 1164 का साबिक खसरा नम्बर 953 था, साबिक खसरा नम्बर 953 गॉव बिहार गैर मुमकिंन पहाड़ था। इससे सन् 2003 में हाल खसरा नम्बर 1164 बनाया गया है, अतः प्रार्थी ने अपने पक्के मकान का निर्माण किया तब उक्त भूमि वन विभाग में नही आती थी। प्रार्थी को उक्त नोटिस से पहले वन विभाग से कभी कोई नोटिस नही मिला था। प्रार्थी अपने मकान में निरन्तर 50 वर्षो से परिवार सहित आवास–निवास कर रहा है। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1982 की धारा 15 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी भूमि का 30 वर्षो से अधिक समय से निरन्तर उपयोग कर रहा है, तो उसको चिर व्यवहार द्वारा सुखाधिकार अर्जित मान लिया जाता है। पटवारी हल्का श्यामपुरा पटवारी हल्का बिहार, भू0अ0नि0 डाबला मय उप–तहसीलदार पाटन के द्वारा प्रार्थी के मकान की संयुक्त फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 08.02.2018 को तैयार की थी, इस रिपोर्ट में प्रार्थी के मकान का आंशिक हिसा ही खसरा नम्बर 1164 में बने हुये बताये है। दिनांक 08.05.2018 को ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत बिहार पटवारी हल्का बिहार, वनपाल रेंज कार्यालय पाटन की उपस्थिति में ग्राम बिहार में हाल खसरा नम्बर 1164, 1166 एवं 1154/1178 रकबा 0.60 हैक्टयर में बसी हुई आबादी का सर्वे किया गया था जिसमें बताया गया कि मौके पर पक्की रोड़ के दोनों और पक्के मकान बने हुये है और लगभग 35 वर्ष से ग्रामवासी मकान बनाकर उनमें मय परिजन के आवास–निवास कर रहे है। फिर भी सहायक वन संरक्षक ने कथित आदेश बिना तथ्यों की

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

निरस्त किया जाकर सहायक वन सरंक्षक को आदेशित किया जावे कि वे मय एजेन्ट, नोकर–चाकर आदि के अपीलार्थी को उसके आवासीय मकानात में आवास निवास में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई एवं अप्रार्थी को नाटिस जारी किया गया। अप्रार्थी सहायक वन सरंक्षक की और से वकील श्री रामावतार महरिया उपस्थित आये। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्तागण के पक्ष–विपक्ष में प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात् विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान ने न्यायीक दृष्टांत पेश किये। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत में Supreme Court of India Judgment Appeal (civil) 6432 of 1998, Kerla High Court Judgment SA. No. 136 of 1994(G), Delhi High Court Judgment RFA No. 384/1980 पेश किये। हस्तगत प्रकरण की परिस्थितियां प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत में विवेचित प्रकरण की परिस्थितियों से भिन्न है। अधिवक्ता रेस्पो. द्वारा इस सम्बंध में DNJ 2010 पेज नम्बर 1294 से 1297, AIR 2014 Ch. 6 व NATIONAL GREEN TRIBUNAL, CENTRAL ZONAL BENCH, BHOPAL Application No. 131/2013 पर वर्णित निर्णयों को बतौर नजीर प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। चुनौतीग्रस्त निर्णय न्यायालय सहायक वन सरंक्षक, सीकर द्वारा भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत पारित किया गया है। भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत निर्णय पारित करना न्यायालय सहायक वन सरंक्षक के क्षेत्राधिकार में है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित चुनौतिग्रस्त निर्णय को क्षेत्राधिकार के बाहर नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया है। अपीलांट जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुआ एवं उक्त नोटिस के सम्बंध में जवाब आपत्ति पेश किया। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अपना निर्णय पारित किया है। मुताबिक रिकॉर्ड के अपीलांट द्वारा ग्राम बिहार के खसरा नम्बर 1164 (गत 953) में से 0.1509 है0 पर पक्का मकान बनाकर कर अतिक्रमण कर रखा है। पत्रावली पर मौका पंचनामा रिपोर्ट दिनांक 30.05.2018 में भी भूमि खसरा नम्बर 1164 पर अपीलांट रामेश्वरलाल का 0.152.09 है0 भूमि पर अतिक्रमण बताया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के मुताबिक ग्राम बिहार के खसरा नम्बर 1164 रकबा 1.30 है0 किस्म गै.मु.वन दर्ज है। गै.मु. वन भूमि राजकीय भूमि है जिस पर अपीलांट को अतिक्रमण करने का कोई हक अधिकार नहीं है। उपरोक्त आराजियात पर अतिक्रमण नहीं होने के सम्बंध में अपीलांट द्वारा कोई ठोस दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है एवं ना ही ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध है, जिससे यह साबित किया जा सके कि विवादित स्थल पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है। अतः गै.मु.वन भूमि पर अपीलांट द्वारा मकान बनाकर किये गये अतिक्रमण के सम्बंध में अधिनस्थ न्यायालय सहायक वन सरंक्षक, सीकर के द्वारा पारित बेदखली आदेश दिनांक 11.07.2018 अतिविशिष्ट कानूनी प्रावधान की पूर्ति के लिए यथेष्ट एवं पर्याप्त है, जिसमें दखलंदाजी की आवश्यकता न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 19.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/7/19

(जय प्रकाश)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर